पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध

न्यायमूर्ति डी.एस. तेवतिया के समक्ष

सुमेश चंद आदि, ... याचिकाकर्ताओं;

बनाम

हरियाणा राज्य, ... प्रतिवादी।

1977 का आपराधिक विविध संख्या 2990-एम

23 अगस्त 1977 को हुआ फैसला

दंड प्रक्रिया संहिता (*1974** का 2) - धारा 209, **227, 397 (2)** ***और 482 - ***प्रतिबद्ध मजिस्ट्रेट - क्या प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व को निर्धारित करने की आवश्यकता*** है - धारा **209** के तहत प्रतिबद्धता ***का*** आदेश - ***धारा* 482** के ***तहत ऐसे आदेश को रद्द करने के लिए याचिका - क्या सुनवाई योग्य है।***

आयोजित:

पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिबद्ध मजिस्ट्रेट को अपने द्वारा तय किए गए आरोपों पर सत्र न्यायालय में मुकदमे के लिए मामला करना आवश्यक था, लेकिन नई आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत वह केवल मामले को सत्र न्यायालय को सौंपता है और यह सवाल कि इस तरह से प्रतिबद्ध व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाना है या नहीं, आवेदन करने के बाद सत्र न्यायालय द्वारा तय किया जाना है। नई संहिता की धारा 227 के तहत परिकल्पित तरीके से, जिसके परिणामस्वरूप पुरानी संहिता के तहत अभियुक्त को धारा 207-ए के तहत प्रतिबद्ध न्यायालय के आदेश से मुकदमे पर रखा गया था, जबकि नई संहिता

के तहत अभियुक्त को मुकदमे पर नहीं रखा जाता है, लेकिन केवल मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया जाता है जो स्वयं अभियुक्त को मुकदमे पर रखता है, यदि अभिलेख और प्रतिबद्ध न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया मामला बनता है। 209 के तहत एक आदेश एक मध्यस्थ आदेश की प्रकृति में है, जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र को नई संहिता की धारा 397 की उप-धारा (2) द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है और जहां नई संहिता पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र को रोकती है, यह अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा यदि किसी पार्टी को अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र को लागू करने की अनुमति दी जाती है, खासकर जब उक्त पक्ष को सत्र न्यायालय से ही नई संहिता की धारा 227 के तहत वांछित राहत मिल सकती है।

(पैरा 3 और 4)।

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत *याचिका में अनुरोध किया गया है कि श्री एएस गर्ग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिसार की अदालत के* 31*मार्च*, 1977 के आदेश को *रद्द किया जाए और विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जाए। हिसार को निर्देश दिया जाए कि वह धारा* 306, 307, 343, 323, 354, 109 *और* 120-बी आईपीसी के तहत पुलिस *स्टेशन सिटी हिसार में दर्ज* मामले की सुनवाई के साथ आगे बढ़े /(ग) दिनांक 24*अगस्त*, 1976 की *अधिसूचना सं* 587।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता वीएम जैन।

एच.एस. गिल, डी.ए. उत्तरदाताओं के लिए।

आदेश

न्यायमूर्ति डी.एस. तेवतिया, - (1) यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने 31 मार्च, 1977 के प्रतिबद्धता आदेश को रद्द करने

की मांग की है, जिसके तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिसार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 307, 343, 323, 354, 109 और 120-बी के तहत मामले को सत्र न्यायालय, हिसार में सौंप दिया था ।

(2) प्रतिवादी राज्य की ओर से पेश श्री गिल ने याचिका की विचारणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई है। उनके द्वारा यह आग्रह किया गया है कि इस न्यायालय को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करने से बचना चाहिए, जब याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 (जिसे बाद में नई संहिता के रूप में भी जाना जाता है) के तहत सत्र न्यायालय द्वारा दी जा सकती है।

(3) मैं समझता हूं कि राज्य की ओर से उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति में काफी दम है। 1973 संहिता की धारा 227 के प्रावधान निम्नलिखित शब्दों में हैं:

> "227. यदि, मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, और इस संबंध में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की प्रस्तुतियों को सुनने के बाद, न्यायाधीश को लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को आरोपमुक्त कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को दर्ज करेगा।

यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में एक नया प्रावधान है। इस प्रावधान को देखने के मेरे तरीके से, यह प्रावधान सत्र न्यायालय को एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिसका उपयोग पहले पुरानी संहिता के तहत प्रतिबद्ध न्यायालय द्वारा किया जाता था। 1973 की नई संहिता के तहत, धारा 209 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय प्रतिबद्ध न्यायालय के पास इस सवाल पर जाने की कोई शक्ति नहीं है कि क्या कोई *प्रथम दृष्टया* मामला बनता है या नहीं, जो वह धारा 207-ए के तहत पुरानी संहिता के तहत करता था। नई संहिता की धारा 209 के तहत मजिस्ट्रेट को यह देखना होगा कि क्या पुलिस रिपोर्ट में उल्लिखित अपराध या अन्यथा

सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य है और यदि यह इतना ही विचारणीय है, तो पुलिस द्वारा उसके समक्ष रखे गए दस्तावेजों के साथ सत्र न्यायालय में कागजात प्रस्तुत करना होगा। प्रतिबद्ध न्यायालय के लिए कोई विस्तृत आदेश पारित करना या इस प्रश्न पर विचार करना बिल्कुल अनावश्यक है कि क्या *प्रथम दृष्टया जेड* का मामला बनता है या नहीं। पुरानी संहिता की धारा 207-ए, उप-धारा (7) और नई संहिता की धारा 209, उपधारा (ए) में प्रयुक्त विभिन्न वाक्यांशों से पता चलता है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है। जबकि पुरानी संहिता के तहत प्रतिबद्ध मजिस्ट्रेट को अपने द्वारा तय किए गए आरोपों पर सत्र न्यायालय में मुकदमे के लिए मामला करना आवश्यक था, लेकिन नई संहिता के तहत वह केवल मामले को सत्र न्यायालय को सौंपता है और यह सवाल कि इस तरह से प्रतिबद्ध व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाना है या नहीं, सत्र न्यायालय द्वारा निम्नानुसार परिकल्पित तरीके से अपना दिमाग लगाने के बाद तय किया जाना है। नई संहिता की धारा 227, जिसके परिणामस्वरूप पुरानी संहिता के तहत अभियुक्त को धारा 207-ए के तहत प्रतिबद्ध न्यायालय के आदेश से मुकदमे पर रखा गया था, जबकि नई संहिता के तहत अभियुक्त को मुकदमे पर नहीं रखा जाता है, लेकिन केवल मामले को सत्र न्यायालय को सौंपा जाता है जो रिकॉर्ड और दस्तावेजों से प्रथम *दृष्टया* मामला बनने पर आरोपी को मुकदमे पर रखता है। प्रतिबद्ध न्यायालय द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया।

(4) उपर्युक्त के आलोक में, मेरा सुविचारित विचार है कि नई संहिता की धारा 209 के अधीन आदेश एक वार्ताकारी आदेश की प्रकृति का है जिसके विरुद्ध इस न्यायालय का पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार नई संहिता की धारा 397 की उपधारा (2) द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है और जहां नई संहिता पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार पर रोक लगाती है, यह केवल न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा यदि किसी पक्ष को अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है, विशेष रूप से जब उक्त पक्ष को सत्र न्यायालय से ही नई संहिता की धारा 227 के तहत वांछित राहत मिल सकती है।

(5) बताए गए कारणों के लिए, यह याचिका खारिज की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अभिनव गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा